an>

Title: Need to develop a mechanism to maximize the rate of conviction of criminals.

**श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी):** गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करके राज्य डाटा केन्द्रों व राष्ट्रीय डाटा केन्द्रों के सभी आंकड़ों को अपराध व अपराधियों के डाटा को साझा करने के उद्देश्यों से सभी पुलिस स्टेशनों को जोड़ते हुए क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (CCTNS) कार्यान्वित की है, जिसका लक्ष्य जानकारी साझा करने के साथ-साथ मूलभूत जरूरतें पूरी करके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू-कश्मीर सहित संगठित गिरोहों व बड़े अपराधियों पर अंकुश लगाकर आंतरिक सुरक्षा सहित कानून व्यवस्था अच्छी रखना है, CCTNS के प्रभावी परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसकी पुष्टि सदन में गृह राज्य मंत्री जी ने तारांकित प्रश्न 203 का उत्तर देते हुए की है ।

परंतु अपराधियों के ऊपर अंकुश रखने व अपराधियों को पकड़ने, अभियोजित करने तक तो प्रणाली ठीक काम कर रही है, परंतु अभियोजन के स्तर तथा न्यायालय में अभियोजन की प्रक्रिया शिथिल होने के कारण बड़ी संख्या में अपराधी न्यायालयों से बच निकलते हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निरीक्षण में जाँच होने व पर्याप्त सबूत होने के बावजूद अभियुक्त बच निकले, न्यायालय ने भी निर्णय देते हुए अभियोजन की शिथिलता की बात कही ।

मैं अपराध नियंत्रण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किए गए मुकदमों में प्रभावी निर्णय प्राप्त करने के लिए CCTNS के अलावा अन्य जरूरी अवयवों, अभियोजन, न्यायालय में प्रदर्शन, विधि-निर्माण आदि प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए CCTNS की तरह न्यायालयों में प्रस्तुत आरोप पत्रों में अधिक सफलता हेतु एक तंत्र विकसित करे।